

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या-03/76/2022

ऑनलाईन नम्बर:-2022/375

प्रवेश तिथि:- 04/08/2022

01. मोहनलाल पुत्र मुरलीधर आयु करीब 62 साल,
02. खेमचंद पुत्र गिरधारी आयु करीब 55 साल
03. महेश पुत्र रामकरण आयु करीब 29 साल
04. रामजीलाल पुत्र नारायण आयु करीब 65 साल
05. रमेश पुत्र गोस्धन आयु करीब 60 साल
06. रामोतार पुत्र मुरली आयु करीब 52 साल
07. सुनील पुत्र ग्यारसा आयु करीब 40 साल
08. रामजीलाल पुत्र रामधन आयु करीब 62 साल जाति कोली निवासीयान तालाब तहसील टहला जिला अलवर।



बनाम

.....प्रार्थी

1 तहसीलदार महोदय टहला जिला अलवर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम
उपस्थित:-1. श्री पुनित शर्मा एडवो-प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

दिनांक:-13/10/2025

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के बुजुर्गान वाके तालाब में भूमिहीन कृषक होने के कारण दिनांक 02.04.1971 को 97 बीघा 17 बिस्वा 4 खसरा नम्बरान में आवंटित की गई थी। जो वाके ग्राम तालाब में 20 कृषकों को आवंटित की गई थी। जिसका गैर खातेदारी जमाबंदी संवत 2021 में 2024 संवत 2025 में 2032, संवत 2033 में 2036 और संवत 2036 में 2039 एवं मिसल संवत 2046-65 तक 1/20 हिस्सा समान भाग में मूल खातेदार के नाम दर्ज किया गया था। उक्त आराजी में गंगासहाय पुत्र भंवर जी जाति कोली का 1/20 हिस्सा था। गंगासहाय पुत्र भंवर जी फौत हो गये थे। जिनका किसी भी प्रकार का कोई विरासन नामांकन दर्ज नहीं हुआ तथा गंगासहाय पुत्र भंवरजी का हाल जमाबंदी में 1/21 हिस्सा दर्ज हैं जो गलत है तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 है।
2. यह है कि उक्त आराजी में रामसहाय पुत्र भंवर जी जाति कोली का हिस्सा 1/20 जिसका विरासन नामांतकरण संख्या 305 दिनांक 10.01.2002 इनका नामान्तकरण-
 1. प्रभात पत्नी स्व0 रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 28 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है
 2. चिरंजी पुत्र रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 17 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है
 3. चंपा पुत्री रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 15 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

4. मगना पुत्री रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 38 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है
5. मिश्रो पुत्री रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 41 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है
6. लीलावती पुत्री रामसहाय हाल जमाबंदी क्रमांक 57 हिस्सा 1/126 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 है
3. यह है कि उक्त आराजी में गणेश पुत्र भंवर जी जाति कोली का हिस्सा 1/20 जिसका विरासन नामांतरण संख्या 786 दिनांक 07.12.2010 इनका नामान्तरण-
 1. रमको पत्नी गणेश हाल जमाबंदी क्रमांक 44 हिस्सा 1/163 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/180 है
 2. देवीसहाय पुत्र गणेश हाल जमाबंदी क्रमांक 21 हिस्सा 1/163 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/180 है
 3. चमेली पुत्री गणेश हाल जमाबंदी क्रमांक 16 हिस्सा 1/163 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/180 है
 4. रामकरण पुत्र गणेश का स्वर्गवास हो चुका है जिसका नामान्तरण उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ जिनका विवरण निम्नानुसार है-
 - 4/1. योगेश पुत्र रामकरण हाल जमाबंदी क्रमांक 43 हिस्सा 1/184 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/320 है
 - 4/2. चन्द्र पुत्र रामकरण हाल जमाबंदी क्रमांक 13 हिस्सा 1/184 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/320 है
 - 4/3. महेश पुत्र रामकरण हाल जमाबंदी क्रमांक 40 हिस्सा 1/184 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/320 है
 - 4/4. संतरा पुत्री रामकरण रामकरण हाल जमाबंदी क्रमांक 43 हिस्सा 1/184 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/320 है
5. यह है कि उक्त आराजी में मुरली पुत्र भंवर जाति कोली का हिस्सा 1/20 का स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तरण सं० 1516 दिनांक 14.11.2021 को दर्ज हुआ जिसका विरासत नामान्तरण निम्नानुसार है-
 - 5/1. हीरा देवी पत्नी स्व० मुरली हाल जमाबंदी क्रमांक 63 हिस्सा 1/315 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/100 है
 - 5/2. मोहन पुत्र स्व० मुरली हाल जमाबंदी क्रमांक 42 हिस्सा 1/315 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/100 है
 - 5/3. रामोतार पुत्र स्व० मुरली हाल जमाबंदी क्रमांक 54 हिस्सा 1/315 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/100 है
 - 5/4. राजेन्द्र पुत्र स्व० मुरली हाल जमाबंदी क्रमांक 47 हिस्सा 1/315 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/100 है
 - 5/5. मुकेश बाई पुत्री स्व० मुरली हाल जमाबंदी क्रमांक 37 हिस्सा 1/315 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/100 है
6. यह है कि उक्त आराजी में रेवड पुत्र भंवर जाति कोली का हिस्सा 1/20 का स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 45 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर



7. यह है कि उक्त आराजी में ग्यारसा पुत्र भंवर जाति कोली हाल जमाबंदी क्रमांक 10 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है तथा ग्यारसा पुत्र भंवर जीवित तथा मौजूद है।
8. यह है कि उक्त आराजी में प्रभात पुत्र रोडू जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 27 व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है।
9. यह है कि उक्त आराजी में छोटू पुत्र ईसरराम जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं0 579 दिनांक 05.06.2007 है जिनका विरासत का नामान्तकरण कजोड़ पुत्र छोटु के नाम दर्ज हुआ जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 3 व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है। जमाबंदी संवत् 2061-64 इंतकाल में नोट लगा हुआ है कि बुद्धी पत्नी छोटु फौत होने पर कजोड़ पुत्र छोटु जाति कोली के नाम 1/20 दर्ज कर दिया जो सही एवं सत्य है।
10. यह है कि उक्त आराजी में सूरज पुत्र ईसर जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका विरासत नामान्तकरण निम्नानुसार है-
 - 10/1. भैरूसहाय का हाल जमाबंदी क्रमांक 36 हिस्सा 1/42 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 है
 - 10/2. सुखपाल का हाल जमाबंदी क्रमांक 60 हिस्सा 1/42 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 है
11. यह है कि उक्त आराजी में गिरधर पुत्र ईसरराम जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं0 1120 दिनांक 05.11.2015 है जिनका विरासत का नामान्तकरण निम्नानुसार है-
 - 11/1. पूरण पुत्र गिरधारी का हाल जमाबंदी क्रमांक 26 हिस्सा 1/63 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 है
 - 11/2. खेम चंद पुत्र गिरधारी का हाल जमाबंदी क्रमांक 8 हिस्सा 1/63 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 है
 - 11/3. श्यामसुंदर पुत्र गिरधारी का हाल जमाबंदी क्रमांक 59 हिस्सा 1/63 जो गलत है। तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 है
12. यह है कि उक्त आराजी में गोरधन पुत्र उदाराम जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 12 व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है।
13. यह है कि उक्त आराजी में मोहन पुत्र उदाराम जाति कोली हिस्सा 1/20 स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं0 1595 दिनांक 16.05.2022 है तथा मन्नी पत्नी मोहन का स्वर्गवास हो चुका है जिनका विरासत का नामान्तकरण निम्नानुसार है-
 - 13/1. ओमप्रकाश पुत्र मोहन हाल जमाबंदी क्रमांक 2 व हाल हिस्सा 5/168 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। तथा मन्नी पत्नी मोहन ने अपने पुत्र ओमप्रकाश के पक्ष में कोई हकत्याग या बेचान नहीं किया बल्कि उनकी पुत्रियों के पक्ष में किया है जो निम्नानुसार है-
 - 13/2. फूली पुत्री मोहन हाल जमाबंदी क्रमांक 31 व हाल हिस्सा 1/168 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 सही है।
 - 13/3. बुद्धी पुत्री मोहन हाल जमाबंदी क्रमांक 32 व हाल हिस्सा 1/168 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 सही है।

उपसंखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अजमेर



13/4. सावत्री पुत्री मोहन हाल जमाबंदी क्रमांक 62 व हाल हिस्सा 1/120 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/120 सही है।

14. यह है कि उक्त आराजी में नारायण पुत्र उदाराम जाति कोली हिस्सा 1/20 स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं० 1176 दिनांक 03.06.2016 है जिनका विरासत का नामान्तकरण निम्नानुसार है-
- 14/1. रामजीलाल पुत्र नारायण हाल जमाबंदी क्रमांक 49 व हाल हिस्सा 1/42 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है।
- 14/2. रेवडी पुत्र नारायण हाल जमाबंदी क्रमांक 46 व हाल हिस्सा 1/42 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है।
15. यह है कि उक्त आराजी में विजयराम पुत्र मूलचंद जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 58 व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है।
16. यह है कि उक्त आराजी में रामधन पुत्र सीताराम जाति कोली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका हाल जमाबंदी क्रमांक 50 व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/20 सही है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है।
17. यह है कि उक्त आराजी में किशोर पुत्र सीताराम जाति कोली हिस्सा 1/20 का स्वर्गवास हो चुका है जिनका वारिसान निम्नानुसार है-
- 17/1. अनोखी देवी पुत्री किशोर हाल जमाबंदी क्रमांक 01 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 सही है।
- 17/2. धन्नी पुत्र किशोर हाल जमाबंदी क्रमांक 23 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 सही है।
- 17/3. लक्ष्मी देवी पत्नी किशोर हाल जमाबंदी क्रमांक 55 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 सही है।
18. यह है कि उक्त आराजी में पांचुराम पुत्र नाथूराम जाति कोली हिस्सा 1/20 का स्वर्गवास हो चुका है जिनका वारिसान निम्नानुसार है-
- 18/1. गुलाब पत्नी स्व० रामस्वरूप हाल जमाबंदी क्रमांक 11 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/80 सही है।
- 18/2. राजेन्द्र पुत्र स्व० रामस्वरूप हाल जमाबंदी क्रमांक 48 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/80 सही है।
- 18/3. विजेन्द्र पुत्र स्व० रामस्वरूप हाल जमाबंदी क्रमांक 34 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/80 सही है।
- 18/4. पूजा पुत्री स्व० रामस्वरूप हाल जमाबंदी क्रमांक 25 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/80 सही है।
19. यह है कि उक्त आराजी में पांचुराम पुत्र दोलाराम जाति कोली हिस्सा 1/20 स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं० 151 दिनांक 30.05.1994 है तथा बुद्धालाल पुत्र पांचुराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा बुद्धालाल पुत्र पांचुराम जिनका विरासत का नामान्तकरण निम्नानुसार है-
1. प्रभाती देवी पत्नी स्व० बुद्धालाल हाल जमाबंदी क्रमांक 29 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है। 2. प्रेम पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जमाबंदी क्रमांक 30 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है।



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलावर

3. विमला पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जगाबंदी क्रमांक 35 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है। 4. चंदो देवी पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जगाबंदी क्रमांक 14 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है। 5. लाली पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जगाबंदी क्रमांक 56 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा

वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है। 6. कगली पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जगाबंदी क्रमांक 05 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है। 7. धप्यो पुत्री स्व० बुद्धालाल हाल जगाबंदी क्रमांक 24 व हाल हिस्सा 1/147 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/140 सही है।

20. यह है कि उक्त आराजी में नहनूराम पुत्र टेकाराम जाति कोली हिस्सा 1/20 स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं० 931 दिनांक 08.02.2013 है तथा नहनूराम के तीन पुत्र व तीन पुत्रियों के नाम निम्नानुसार है- कजोडमल, बाबूलाल, छोटेलाल पुत्रान व उसकी पत्नी मंगली, पत्नी नहनूराम एवं सोनी, नत्थी, विमला पुत्रियों ने अपने भाई कजोडमल के नाम हकत्याग कर दिया। जिनका हकत्याग का नामान्तकरण संख्या 1020 दिनांक 21.07.2014 नहनूराम के विरासत का वारिसान निम्नानुसार है- 1. मंगली पत्नी नहनूराम हाल जगाबंदी क्रमांक 39 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 2. कजोडमल पुत्र नहनूराम हाल जगाबंदी क्रमांक 04 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 3. बाबूलाल पुत्र नहनूराम हाल जगाबंदी क्रमांक 33 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 4. छोटेलाल पुत्र नहनूराम हाल जगाबंदी क्रमांक 18 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है।
21. यह है कि उक्त आराजी में छोटूराम पुत्र ज्ञानाराम जाति कोली हिस्सा 1/20 स्वर्गवास हो चुका है जिनका नामान्तकरण सं० 152 दिनांक 30.05.1994 है तथा छोटूराम पुत्र ज्ञानाराम के तीन पुत्र थे जो निम्नानुसार है- बरदू, हरसाय, गिराज पुत्रान छोटूराम तथा तीनों का ही स्वर्गवास हो चुका है। बरदू पुत्र छोटूराम के वारिसान का सजरा निम्नानुसार है- 1. तोफली पत्नी बरदू हाल जगाबंदी क्रमांक 20 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/240 सही है। 2. धन्नालाल पुत्र बरदू हाल जगाबंदी क्रमांक 22 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 3. कैलाश पुत्र बरदू हाल जगाबंदी क्रमांक 06 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 4. रामफूल पुत्र बरदू हाल जगाबंदी क्रमांक 51 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है।
22. गिराज पुत्र छोटूराम के वारिसान सजरा निम्नानुसार है- 1. केसर पत्नी गिराज हाल जगाबंदी क्रमांक 07 व हाल हिस्सा 1/63 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/180 सही है। 2. जगदीश पुत्र गिराज हाल जगाबंदी क्रमांक 19 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है। 3. रामस्वरूप पुत्र गिराज हाल जगाबंदी क्रमांक 52 व हाल हिस्सा 1/84 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/40 सही है तथा हरसहाय पुत्र छोटूराम नाऔलाद फॉत हुआ जिसका नामान्तकरण 1574 दिनांक 09.03.2022 गोदनामा हाल जगाबंदी क्रमांक 53 रामस्वरूप दत्तक पुत्र हरसहाय व हाल हिस्सा 1/21 गलत तथा वास्तविक हिस्सा 1/60 सही है। गलत हिस्सा गुताविक रामस्वरूप दत्तक पुत्र हरसहाय ने बयनामा दिनांक 27.04.2022 क्र.सं. 546 को प्रकाश चंद बनकर पुत्र रामचन्द्र बनकर जाति बलाई निवासी ग्राम ओछाजाई ग्राम पंचायत चतरपुरा वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर के नाम



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अजमेर

- गलत करवा दिया। इसी प्रकार सुखपाल पुत्र सूरज ने गलत हिस्सा 1/42 बयनामा दिनांक 27.04.2022 क्र.सं. 545 को प्रकाश चंद बनकर पुत्र रामचन्द्र बनकर जाति बलाई निवासी ग्राम ओछाजाई ग्राम पंचायत चतरपुरा वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर तथा कजोड पुत्र छोटू व कजोड पुत्र नहनू ने भी गलत हिस्सा 5/84 जमाबंदी मुताबिक सीताराम पुत्र छीतर बनकर के हक में बयनामा 19.01.2022 क्रमांक 135 करवा दिया जबकि इनका पिता को अलॉट हुई भूमि मुताबिक हिस्सा 1/20 ही बनता है परन्तु उक्त लोगों ने जमाबंदी के गलत हिस्से की जानकारी दी। जानबूझकर गलत हिस्से की रजिस्ट्री दिनांक 27.04.2022 व 19.01.2022 को करवाई।
23. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार टहला से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट पत्र संख्या क्रमांक/भू.अ./2022/4078 दिनांक 11/11/2022 के द्वारा पेश की गई। तहसीलदार टहला द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के हिस्से में अशुद्धी के सम्बन्ध में होने की पुष्टी की गई।

Section 136 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, gives a Land Records Officer the power to correct clerical errors or mistakes in the revenue record. These corrections can be made on their own initiative, or if the interested parties agree to the error. If the error is found during an inspection, the officer must provide prior notice to the parties before making the correction. This section is for correcting mistakes, not for deciding issues of title or granting rights like khatedari.

24. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो का व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार टहला द्वारा जॉच रिपोर्ट पत्र संख्या क्रमांक/भू.अ./2022/4478 दिनांक 11.11.2022 जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के हिस्से की मात्र अशुद्धी Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 136 मे नही घोषणात्मक प्रकृति का वाद है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः-

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1955 अशुद्धी मात्र Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 136 मे नही होकर घोषणात्मक प्रकृति का वाद है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार/खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को लिखाया जाकर खुने न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पुति जमा लेख भण्डार हो।



(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर